शुगर एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा खत्म

नकदी संकट से जूझ रही शुगर इंडस्ट्री के लिए फैसला वरदान साबित होगा

[पीटीआई | नई दिल्ली]

सरकार शुगर एक्सपोर्ट के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खत्म करने पर विचार कर रही है। इस साल शुगर के सरप्लस प्रॉडक्शन को देखते हुए सरकार ऐसा करने की तैयारी में है। इस कदम से शुगर के एक्सपोर्ट में तेजी आ सकेगी। यह फैसला नकदी की किल्लत से जूझ रही शुगर इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'पिछले हफ्ते मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में शुगर एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन से जुड़े मसले पर चर्चा हुई। इस मामले पर विचार चल रहा है।'

फिलहाल, शुगर एक्सपोर्टर्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। डीजीएफटी ने पिछले महीने विदेश में प्रति शुगर शिपमेंट की सीमा दोगुनी बढ़ाकर 50,000 टन कर दी थी। पिछले साल भारत ने 4 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट किया था। इस साल चीनी मिलों ने 40 टन एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। कुछ देशों में शुगर के सरप्लस प्रॉडक्शन के कारण इसकी ग्लोबल कीमतों में भारी गिरावट है। भारतीय मिलों की नजर कच्ची चीनी के एक्सपोर्ट पर है, जो प्रीमियम पर बिकता है। पूरे देश में शुगर मिलों ने मार्केटिंग ईयर (अक्टूबर-सितंबर) 2013-2014 के लिए पेराई का काम शुरू किया था।

उत्तर प्रदेश के प्राइवेट शुगर मिलों ने पिछले एक हफ्ते से गन्ने की ऊंची कीमतों के खिलाफ कामकाज रोक रखा था। इस मामले पर राज्य सरकार और चीनी मिलों में रविवार को सहमति बन गई। शुगर इंडस्ट्री को इस प्रोडक्शन 2.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह 2.44 करोड़ टन के सरकारी अनुमान से भी ज्यादा है। देश में शुगर की खपत 2.35 करोड़ टन है। पिछले साल देश में 2.51 करोड़ टन शुगर का प्रॉडक्शन हुआ था।

फिलहाल होता है रजिस्ट्रेशन

- **अभी शुगर** एक्सपोर्टर्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है
- **डीजीएफटी ने** पिछले महीने विदेश में प्रति शुगर शिपमेंट की सीमा दोगुनी बढ़ाकर 50,000 टन कर दी थी
- **कुछ देशों में** शुगर के सरप्लस प्रॉडक्शन के कारण इसकी ग्लोबल कीमतों में भारी गिरावट

Economic time
3/12/13